



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-04.12.2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-385/2022 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1- बसीरुल शेख पुत्र गुलबहार शेख उर्फ बुन्नु निवासी डीएलडब्ल्यू पहाड़ी गेट यादव बस्ती थाना मंडुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए०एस०जे०-13/गैंगस्टर जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त बसीरुल शेख उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी